रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 5, 1995/पौष 15, 1916
No. 11] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 5, 1995/PAUSA 15, 1916

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1995

का. आ. 11(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

आदेश

मद्रास के एक अधिवक्ता श्री पी रतनवेल द्वारा तारीख 30-6-1994 को एक अर्जी फाइल की गई थी, जिसमें यह अभिकथित किया गया था कि लोक सभा के आसीन सदस्य श्री आर. धनुष्कोडि अथियन, ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9क के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ङ) और संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (घ) के अधीन निहित हो गए हैं;

और राष्ट्रपति ने उक्त अर्जी के प्रतिनिर्देश से संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी है;

और निर्वाचन आयोग की यह राय है (उपावंध देखिए) कि श्री आर. धनुष्कोडि न तो संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के के उपखंड (घ) के अधीन और न ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9क के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ङ) के अधीन निरर्हित हुए हैं;

अतः मैं, शंकर दयाल शर्मा, भारत का राष्ट्रपति, श्री पी रतनवेल की उपरोक्त अर्जी को खारिज करता हूं।

31 दिसम्बर, 1994 भारत का राष्ट्रपति

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

1994 का संदर्भ मामला सं. 2

(भारत के राष्ट्रपति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन प्राप्त निर्देश)

विषय:—लोक सभा के आसीन सदस्य, श्री आर. धनुष्कोडि अथियन की अभिकथित निरर्हता।

राय

भारत के राष्ट्रपति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन प्राप्त इस निर्देश में इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री आर. धनुष्कोडि अथियन, जो लोक सभा के आसीन सदस्य हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् '1951 का अधिनियम'

का गया है) की धारा 9क के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ङ) के अधीन और/या संविधान के अनुच्छेद 102(1) (घ) के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं।

2. संक्षेप में बताए गए मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:—

(i) श्री आर. धनुष्कोडि अथियन, मई-जून, 1991 में हुए साधारण निर्वाचन में तमिलनाडु राज्य के 38—तिरुचिन्दूर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

(ii) एक अधिवक्ता श्री पी. रत्नबेल, नं. 29 गली, दूसरा कुरामारान नगर, अन्ना नगर पूर्वी, मद्रास (जिसे इसमें इसके पश्चात् अर्जीदार कहा गया है) द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के समक्ष तारीख 30-6-1994 को एक अर्जी फाइल की गई थी अर्जी में यह अभिकथित किया गया था । कि श्री धनुष्कोडि अथियन (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रत्यर्थी कहा गया है) इंडियन गार्नेट सैंड कंपनी प्रा. लि. के निदेशकों में से एक थे और यह कि उक्त कंपनी ने तिरुनेलवेली जिले में गार्नेट रेत खोदने के लिए कुछ पट्टा और खनन का अनुज्ञापत्र अर्जित किया था। यह भी अभिकथित किया गया था कि उक्त कंपनी ने कोरिया, श्रीलंका जैसे देशों के साथ निर्यात संविदा की थी और सियोल में केवल हारा प्रत्यय पत्र खोला गया यह तर्क दिया गया कि इन आधारों पर श्री अथियन किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति अभिस्वीकार करने के कारण संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (घ) और 1951 के अधिनियम की धारा 9क के अधीन भी निरर्हित हो गए थे।

(iii) अर्जी के आवश्यक ब्यौरों से रहित होने के कारण आयोग ने तारीख 20-7-1994 की अपनी एक सूचना द्वारा अर्जीदार को 22-8-1994 तक उसकी अर्जी के समर्थन में आवश्यक सभी दस्तावेजों और एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

(iv) अर्जीदार ने तारीख 17-8-1994 को एक ब्यौरेवार शपथ-पत्र फाइल किया । इस शपथ-पत्र में उसने प्रत्यर्थी के विरुद्ध पूर्णतया एक नया मामला बनाना चाहा । इस शपथ-पत्र में यह अभिकथित किया गया था कि उपरोक्त इंडियन गार्नेट सैंड कम्पनी प्रा. लि., जिसका प्रत्यर्थी एक निदेशक था, ने गांव पादुक्कापट्टु, सथनकुलम तालुक, चिदमबरानार जिले के पास 6.93.2 हैक्टेयर भूमि के क्षेत्र पर खनिज गार्नेट के खनन और निष्कर्षण के लिए एक पट्टा विनिश्चित निष्पादित करके 07-2-1994 को तमिलनाडु सरकार के उद्योग विभाग के साथ संविदा की थी। अर्जीदार ने यह भी अभिकथित किया कि प्रत्यर्थी उक्त खनिज को कोरिया, जापान, पश्चिमी जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विदेशी राज्यों को निर्यात कर रहा था। आगे यह अभिकथित किया गया था कि प्रत्यर्थी को एक विदेशी राज्य में प्रत्यय-पत्र खोला, जिसके द्वारा वह विदेशी राज्य की विधि का पालन कर रहा था और उस विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रख रहा था। अर्जीदार ने कुछ पूर्णतया असंबद्ध अभिकथन भी किए कि प्रत्यर्थी ने मद्रास में और अन्यत्र बहुत बड़ी संपत्तियां क्रय की हैं और कई कारों का स्वामी है और दिल्ली और मद्रास में हमेशा सितारा होटलों में ठहरता है।

(v) आयोग ने अर्जीदार को पूर्वोक्त अर्जी और शपथ-पत्र को 27-8-1994 को प्रत्यर्थी को भेज दिया और उसके संबंध में 26-9-1994 तक अपना उत्तर देने के लिए कहा । बाद में यह तारीख प्रत्यर्थी के अनुरोध पर चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई थी क्योंकि उसने बताया कि वह दौरे पर विदेश चला गया था और उसे आयोग की सूचना काफी देर से प्राप्त हुई थी।

(vi) प्रत्यर्थी ने 20-10-1994 को अपना लिखित कथन फाइल किया । उसने इस बात से इंकार किया कि वह इंडियन गार्नेट सैंड कंपनी प्रा. लि. का एक निदेशक था क्योंकि उसने 4-12-1993 को उक्त कंपनी के निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया था, जिसे उक्त कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा 14-12-1993 को स्वीकार कर लिया गया था । उसने यह भी कथन किया कि उसके कंपनी का निदेशक बने रहने तक कंपनी ने कोई खनन पट्टा प्राप्त नहीं किया था और न ही किसी विदेशी राज्य में कोई गार्नेट रेत निर्यात की थी और इसलिए उक्त कंपनी के लिए विदेशी फर्मों के साथ कोई संविदा करने की कोई आवश्यकता या अवसर नहीं था और न ही, कोई प्रत्यय द्वारा पत्र खोला गया था, जैसा कि अर्जीदार-अभिकथित किया गया है । उसने मद्रास में संपत्तियों के क्रय किए जाने से भी इंकार किया और उसे मिथ्या, गलत और भ्रामक बताया।

3. आयोग ने अपनी राय बनाने से पहले दोनों पक्षकारों को सुने जाने का विनिश्चय किया। तदनुसार, 28-11-1994 को सुनवाई नियत की गई थी जिसके लिए 31-10-1994 को दोनों पक्षकारों को रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक से और साधारण डाक से सूचनाएं भेजी गई थीं। आयोग के कुछ महत्वपूर्ण पूर्व निश्चित कार्यों के कारण सुनवाई 28-11-1994 से 29-11-1994 को एक दिन के लिए मुल्तवी कर दी गई और इस प्रकार मुल्तवी किए जाने की सूचनाएं 25-11-1994 को, दोनों पक्षकारों को, तार द्वारा दे दी गई थीं।

4. अर्जीदार 29-11-1994 को सुनवाई पर उपस्थित नहीं हुआ 28-11-1994 को अर्थात् वह तारीख जिसको सुनवाई मूल रूप नियत थी, उसकी ओर से कोई सूचना नहीं थी। उसको उक्त दिन की सुनवाई की बाबत सम्यक जानकारी थी क्योंकि उसने प्रत्यर्थी के 11-11-1994 के लिखित कथन के संबंध में 15-11-1994 को प्रत्युत्तर फाइल करते हुए, आयोग के 28-11-1994 को सुनवाई की बाबत में सूचना देने वाले तारीख 31-10-1994 के उपर्युक्त पत्र का उत्तर दिया था।

5. प्रत्यर्थी, 29-11-1994 को सुनवाई में स्वयं उपस्थित हुआ था। उसने पूर्ववर्ती पैरा में यथानिर्दिष्ट अर्जीदार के 11-11-1994 के प्रत्युत्तर के संबंध में एक और प्रत्युत्तर फाइल किया। उसने कहा कि वह मौखिक निवेदन में कुछ नहीं कहना चाहता और निवेदन किया कि मामले को उपलब्ध लिखित अभिवचन और अभिलेख में के दस्तावेजों के आधार पर विनिश्चित किया जाए।

6. मैं इस प्रश्न पर कि प्रत्यर्थी इंडियन गार्नेट सैंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक था या निदेशक है और अन्य सम्बद्ध मुद्दों पर विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि मेरी राय में इस मामले को संक्षिप्त प्रारम्भिक आधार पर ही निपटाया जा सकता है।

7. अर्जीदार का मुख्य अभिकथन यह है कि प्रत्यर्थी, 1951 के अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102(1) (ङ) के अधीन इस आधार पर निरर्हता से ग्रस्त हो गया है कि इंडियन

गारनेट सेंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका प्रत्यर्थी कथित रूप से एक निदेशक है, ने तमिलनाडु सरकार के उद्योग विभाग के साथ, तारीख 07-02-1994 को एक खनन पट्टा विलेख के निष्पादन के द्वारा, संविदा की है,। उक्त धारा 9क को नीचे पुनः उद्धृत किया गया है :—

"सरकार के साथ की गई संविदाओं आदि के लिए निरर्हता कोई भी व्यक्ति, निरर्हित होगा, यदि और जब तक कोई ऐसी संविदा विद्यमान है जो उसने समुचित सरकार के साथ अपने व्यापार या कारबार के अनुक्रम में उस सरकार को माल का प्रदाय करने के लिए या उस सरकार द्वारा उपबंधित किन्हीं सकर्मों के निष्पादन के लिए की है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां कि कोई संविदा उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा यह समुचित सरकार के साथ की गई थी, पूर्णतया निष्पादित कर दी गई है, वहां उस संविदा के बारे में केवल इस तथ्य के कारण कि सरकार ने उस संविदा के अपने भाग का पूर्णतः या आंशिक पालन नहीं किया है, यह नहीं समझा जाएगा कि वह विद्यमान है ।"

उपरोक्त धारा 9क में प्रयुक्त पद "समुचित सरकार" को उक्त अधिनियम की धारा 7(क) में निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है ।

"7 परिभाषाएं—इस अध्याय में—

(क) "समुचित सरकार" से संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने या रहने के लिए किसी निरर्हता के संबंध में केन्द्रीय सरकार तथा किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने या रहने के लिए किसी निरर्हता के संबंध में वह राज्य सरकार अभिप्रेत है ।"

8. 1951 के अधिनियम की धारा 7 (क) के साथ पठित उपरोक्त धारा 9क से यह संप्रेक्षित हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति लोक सभा का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए केवल इसी आधार पर निरर्हित हो जाएगा यदि उसने समुचित सरकार अर्थात केन्द्रीय सरकार के साथ कोई संविदा की है । राज्य सरकार के साथ की गई कोई संविदा, किसी व्यक्ति को लोक सभा के निर्वाचन के लिए निरर्हित नहीं करेगी। राज्य सरकार के साथ की गई धारा 9क में निर्दिष्ट प्रकृति की संविदा, राज्य सरकार विधान सभा के निर्वाचन के लिए निरर्हता होगी, न कि संसद के लिए ।

9. अर्जीदार ने, स्वयं यह कहा है कि उपरोक्त कम्पनी ने, जिसका प्रत्यर्थी अधिकथित रूप से एक निदेशक है, तमिलनाडु सरकार के उद्योग विभाग के साथ संविदा की है। अतः राज्य सरकार से ऐसी संविदा जहां तक प्रत्यर्थी का संबंध है, जो लोक सभा का सदस्य है, 1951 के अधिनियम की धारा 9क के अधीन निरर्हता खड़ा लागू नहीं होता है। यदि संविदा का, जो कि वर्तमान मामले में जांच की विषय वस्तु है, विधिक प्रभाव यह है तो मेरे लिए आगे यह पता लगाना आवश्यक नहीं है कि क्या प्रत्यर्थी इंडियन गारनेट सेंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है जैसा कि अर्जीदार द्वारा अधिकथित किया गया है या नहीं और कंपनी ने, राज्य सरकार के साथ किस प्रकृति की संविदा की है ।

10. अर्जीदार का यह भी अभिकथन है कि प्रत्यर्थी इस आधार पर संविधान के अनुच्छेद 102(1)(घ) के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है कि उसने विदेशी राज्य में प्रत्यय पत्र खोला है और इस तरह विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा और अनुषक्ति अभिस्वीकार किए हुए है। अभिकथन इन सभी ब्यौरों से रहित है । यह वर्णित ही नहीं किया गया कि ऐसा प्रत्यय पत्र किस विदेशी राज्य में खोला गया है या ऐसे प्रत्यय पत्र के क्या निबंधन और शर्तें हैं । प्रत्यय पत्र का खोला जाना, जिसे कि प्रत्यर्थी ने हर हालत में इंकार किया है एक वाणिज्यिक संव्यवहार है और यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि किसी विदेशी राज्य में प्रत्यय पत्र खोलने मात्र से किसी व्यक्ति ने ऐसे विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह संविधान के अनुच्छेद 102(1)(घ) के अर्थ में ऐसे विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा और अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है ।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मेरी यह राय है और तदनुसार, मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि अर्जीदार द्वारा तारीख 30-06-94 की अर्जी में या तारीख 17-08-1994 के अपने शपथ पत्र में उसके द्वारा उठाए गए किसी भी आधार पर श्री आर. धनुष्कोडि अथिथन लोक सभा की सदस्यता के लिए किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं हुए हैं ।

12 राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को, मैं अपनी उपरोक्त आशय की राय के साथ वापस करता हूं ।

(टी.एन.शेषन)
नई दिल्ली भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अध्यक्ष
तारीख 2 दिसम्बर, 1994 भारत निर्वाचन आयोग

[फा.सं. 7/64/94-वि II]
टी.के. विश्वनाथन, संयुक्त सचिव और
विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 1995

S.O. 11(E).—The following Order made by the President is published for general information.

ORDER

Whereas, a petition, dated 30-06-1994 has been filed by Shri P. Rathanavel, an Advocate of Madras, alleging that Shri R. Dhanushkodi Athithan, a sitting member of the Lok Sabha has incurred disqualification under sub-clause (e) of clause (1) of article 102 of the Constitution read with section 9A of the Representation of the People Act, 1951 and under sub-clause (d) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas, the President has sought the opinion of the Election Commission under clause (2) of article 103 of the Constitution with reference to the said petition;

And whereas, the Election Commission is of opinion (vide Annexure) that Shri R. Dhaushkodi Athithan has not incurred disqualification either under sub-clause (d) of clause (1) of article 102 of the Constitution or under sub-clause (e) of clause (1) of article 102 of the Representation of the People Act, 1951;

Now, therefore, I, Shanker Dayal Sharma, President of India, do hereby dismiss the aforesaid petition of Shri P. Rathanavel.

December 31, 1994. President of India

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference case No. 2 of 1994

[Reference from the President of India under Article 103(2) of the Constitution of India]

In Re : Alleged disqualification of Shri R. Dhanushkodi Athithan, a sitting member of the Lok Sabha.

OPINION

In this reference from the President of India under Article 103(2) of the Constitution of India, opinion of the Election Commission has been sought on the question whether Shri R. Dhanushkodi Athithan, a sitting member of the Lok Sabha, has become subject to disqualification under Article 102(1)(e) read with Section 9A of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as '1951-Act') and/or under Article 102(1)(d) of the Constitution.

2. The facts of the case, briefly stated, are as under :—

(i) Shri R. Dhanushkodi Athithan was elected to the House of the People from 38-Tiruchendur Parliamentary Constituency in the State of Tamil Nadu at the general election held in May-June, 1991.

(ii) A petition dated 30-06-1994 was filed by one Shri P. Rathanavel, Advocate, No. 29, Street, 2nd Kuranaran Nagar, Anna Nagar, East Madras (hereinafter referred to as petitioner) before the President of India in terms of Article 103(1) of the Constitution. It was alleged in the petition that Shri Dhanuskodi Athithan (hereinafter referred to as respondent) was one of the Directors of Indian Garnet Sand Company Pvt. Ltd. and that the said Company had acquired some lease and mining permit to quary garnet sand in Tirunelveli District. It was further, alleged that the said company had entered into export contract with countries like Korea, Sri Lanka and opened by cable Letter of Credit at Seoul. It was contended that on these grounds Shri Athithan had become disqualified under Article 102(1)(d), of the Constitution as he was under acknowledgment of allegiance or adherence to a foreign State and also under Section 9A of the 1951-Act.

(iii) The petition being devoid of necessary details, the Commission directed the petitioner by its notice dated 20-07-1994 to produce all necessary documents in support of his petition and also an affidavit by 22-08-1994.

(iv) The petitioner filed a detailed affidavit dated 17-08-1994. In this affidavit he sought to make out an altogether new case against the respondent. It was alleged in this affidavit that the abovementioned Indian Garnet Sand Company Pvt. Ltd., of which the respondent was a Director, had entered into a contract with the Industries Department of the Government of Tamil Nadu on 07-02-1994 by executing a lease deed for the mining and extraction of mineral garnet sand over an area of 6.93.2 hectares of land near Village Padukkapattu, Sathankulan Taluk Chidamdarnar District. The petitioner further alleged that the respondent had been exporting the said mineral to foreign countries such as Korea, Japan, West Germany, UK, USA. It was further alleged that the respondent had opened Letter of Credit in a foreign country whereby he was abiding by the law of that country and owing allegiance to that foreign country. The petitioner also made some totally extraneous allegations that the respondent had purchased vast properties in Madras and elsewhere and was owning a number of cars and always staying in star hotels in Delhi and Madras.

(v) The Commission forwarded the aforesaid petition and the affidavit of the petitioner to the respondent on 27-08-1994 for his reply thereto by 26-09-1994. This date was later extended by four weeks at the request of the respondent as he stated that he had gone on some foreign tour and received the Commission's notice quite late.

(vi) The respondent filed his written statement on 20-10-1994. He denied that he was a Director of the Indian Garnet Sand Company Pvt. Ltd. as he had resigned from the Directorship of that Company on 04-12-1993 which had been accepted by the Board of Directors of that Company on 14-12-1993. He further, stated that till he was the Director of the Company, the Company had not obtained any mining lease nor exported any garnet sand to any foreign country and there was, therefore, no need or occasion for the said

Company to enter into any contract with the foreign firms nor was any Letter of Credit opened as alleged by the petitioner. He also denied the purchase of properties in Madras as false, incorrect and misleading.

3. The Commission decided to hear both the parties before formulating its opinion. Accordingly, a hearing was fixed on 28-11-1984 for which the notices were sent to both the parties on 31-10-1994 by Registered A.D. post as well as by ordinary post. The hearing had to be postponed by one day from 28-11-1994 to 29-11-1994 because of some important preoccupations of the Commission and both the parties were informed telegraphically of such postponement on 25-11-1994.

4. The petitioner did not attend the hearing on 29-11-1994. Nothing was heard from him on 28-11-1994 either, i.e., the date on which the hearing was originally scheduled. He had due information about the hearing on that day as he responded to the Commission's aforesaid communication dated 31-10-1994 giving his notice about the hearing on 28-11-1994 by filing a rejoinder 11-11-1994 to the Written statement of the respondent on 15-11-1994.

5. The respondent was present in person at the hearing on 28-11-1994. He filed a sub-rejoinder to the rejoinder dated 11-11-1994 of the petitioner, referred to in the preceding paragraph. He had nothing to add by way of oral submissions and submitted that the matter may be decided on the basis of the written pleadings and documents on record.

6. I need not dilate such on the question whether the respondent was or is a Director of the Indian Garnet Sand Company Pvt Ltd. and other allied issues as, in my opinion, the matter can be disposed of on a short preliminary ground

7. The main allegation of the petitioner is that the respondent has become subject to disqualification under Article 102(1)(e) of the Constitution read with Section 9A of the 1951 Act on the ground that the Indian Garnet Company Pvt. Ltd., of which the respondent is said to be a Director, entered into a contract with the Industries Department of the Government of Tamil Nadu by executing a mining lease deed on 07-02-1994. The said section 9A is reproduced below :—

"Disqualification for Government contracts etc.—A person shall be disqualified if, and for so long, as there subsists a contract entered into by him in the course of his trade or business with the appropriate Government for the supply of goods to, or for the execution of any works undertaken by that Government.

Explanation.—For the purposes of this section, where a contract has been fully performed by the person by whom it has been entered into with the appropriate Government, the contract shall be deemed not to submit by reason only of the fact that the Government has not performed its part of the contract either wholly or in part." (emphasis supplied).

The expression 'appropriate Government' used in the above section 9A has been defined in Section 7(a) of the said Act as follows :—

"7. Definitions.—In this Chapter,—

(a) "appropriate Government" means in relation to any disqualification for being chosen as or for being a member of either House of Parliament, the Central Government, and in relation to any disqualification for being chosen as or for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State the State Government".

8. It will be observed from the above section 9A read with Section 7(a) of the 1951 Act that a person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of the House of the People only if he has entered into a contract with the appropriate Government, i.e., Central Government. A contract with the State Government will not disqualify a person for election to the House of the People. A contract with the State Government of the nature referred in to Section 9A will be a disqualification for election to the State Legislature and not for Parliament.

9. It is the petitioner's own case that the above-mentioned Company of which the respondent is alleged to be a Director entered into a contract with the Industrial Department of Government of Tamil Nadu. Thus, such a contract with the State Government would not attract the disqualification clause under Section 9A of the 1951 Act, in so far as the respondent is concerned who is a member of the House of the People. If that be the legal effect of the contract which is the subject matter of enquiry in the present case, it is not necessary for me to go into the further question whether the respondent is a Director of the Indian Garnet Sand Company Pvt. Ltd as alleged by the petitioner or not and what is the nature of the contract that Company has entered into with the State Government.

10. The petitioner has also alleged that the respondent has become subject to disqualification under Article 102(1)(d) of the Constitution on the ground that he has opened a Letter of Credit in a foreign country and thereby has acknowledged adherence or allegiance to a foreign country. The allegation is bereff of all details. It is not shown at all as to in which country such Letter of Credit has been opened or what are the terms and conditions of such Letter of Credit. The opening of a Letter of Credit, which the respondent in any event denies, is a commercial transaction and it is too much to say that by mere opening of a Letter of Credit in a foreign country, a person voluntarily acquires citizenship of such country or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to such foreign State within the meaning of Article 102(1)(d) of the Constitution.

11. Having regard to the above, I am of the opinion, and accordingly hold that Shri R. Dhanushkodi Athithan has not become subject to disqualification for membership of the House of the People on any of the grounds raised by the petitioner in his petition dated 30-06-1994 or in his affidavit dated 17-08-1994.

12. The reference made by the President is hereby returned to him with my opinion to the aforesaid effect.

T. N. SESHAN,
Chief Election Commissioner of India,
and Chairman,
Election Commission of India.

New Delhi :
Dated : 2nd December, 1994.

[No. 7(64)/94-Leg. II]

T. K. VISWANATHAN, Jt. Secy.
and Legislative Council

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995